बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या–41/2025, मोटरयान निरीक्षक लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों की औपबंधिक सूची एवं विस्तृत कार्यक्रम।

विज्ञापन संख्या–41/2025, परिवहन विभाग, बिहार के अन्तर्गत मोटरयान निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के लिखित (वस्तुनिष्ठ) में सफल कुल–81 अभ्यर्थियो का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) दिनांक–08.12.2025 (सोमवार) को आयोग कार्यालय में किया जाना है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार है:–

क्र॰ सं॰	दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:00 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समयः 2:00 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	08.12.2025 (सोमवार)	410009, 410034, 410071, 410120, 410165 410206, 410265, 410267, 410279, 410283 410345, 410381, 410401, 410418, 410478 410559, 410572, 410631, 410684, 410698 410707, 410738, 410740, 410742, 410749 410759, 410771, 410874, 410966, 411051 411090, 411091, 411150, 411152, 411153 411164, 411223, 411261, 411304, 411317 411369, 411390	411481, 411513, 411542, 411560, 411649 411672, 411679, 411680, 411698, 411765 411813, 411822, 411915, 412104, 412118 412126, 412169, 412205, 412250, 412268 412282, 412292, 412318, 412409, 412411 412422, 412445, 412458, 412461, 412462 412547, 412548, 412569, 412606, 412622 412637, 412675, 412683, 412706

2. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यान के लिए अलग से प्रवेश–पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा, उम्मीदवार उक्त विज्ञापन के लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के ई–प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेंगे। आयोग के वेबसाईट **bpsconline.bihar.gov.in** पर आवेदन पत्र का सार प्रपत्र–I उपलब्ध रहेगा, जिसे भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। प्रपत्र–I में उम्मीदवार द्वारा भरे जाने वाले सारी जानकारियां/सूचनाएँ दावे से संबंधित सभी प्रमाण–पत्र मूल में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस संबंध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा एवं इस संबंध में यथासंभव समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

3. दस्तावेज सत्यापन के दिन उम्मीदवारों को विज्ञापन एवं दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में उल्लेखित अपनी योग्यता सम्बन्धी निम्नांकित मूल (Original) प्रमाण पत्र तथा आयोग के वेबसाईट **bpsconline.bihar.gov.in** पर **User Name & Password** से **Login** करते हुए **My Account** के **View Button** पर **Click** करके आपके द्वारा अपलोड किये गये सभी प्रमाण–पत्र, जिसपर आयोग का **Watermark** अंकित होगा उसे सत्यापन के समय निश्चित रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की दो स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति लाना अनिवार्य होगाः–

(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास (मैट्रिक उत्तीर्णता) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा प्रदान किया गया ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) अथवा यांत्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
नोटः संस्थान/विश्वविद्यालय आदि से CGPA/OGP/CPI इत्यादि का प्रतिशत में बदलने का फार्मूला (Conversion Formula) ।

(iii) गियर वाली मोटर साईकिल और हल्के मोटरयान चलाने के लिए अधिकृत चालन अनुज्ञप्ति (ड्राईविंग लाईसेंस)।
नोटः प्रशिक्षु चालन अनुज्ञप्ति (लर्निंग ड्राईविंग लाईसेंस) मान्य नहीं होगा।

(iv) ऑटोमोबाईल इंजीनियरिंग या पोस्ट डिप्लोमा में विशिष्टता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।

(v) डिप्लोमा प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले संस्थान के केन्द्र/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त होने सबंधी प्रमाण–पत्र।

(vi) अनुभव का दावा करने की स्थिति में विज्ञापन की कंडिका–5 के अनुरूप अनुभव प्रमाण–पत्र।
(क) नियंत्री पदाधिकारी अथवा नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र एवं नियुक्ति पत्र।
(ख) अनुभव प्रमाण–पत्र में अभ्यर्थी का वेतन अंकित होना चाहिए एवं जिस खाता में वेतन भुगतान होता है उसका बैंक स्टेटमेंट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
(ग) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 03.07.2025 के पूर्व का होना चाहिए।
(घ) अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करेंगे।

(vii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है)।

(viii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है।

(ix) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या– 2622, दिनांक – 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची - I (प्रपत्र - I) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र।

(x) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र (सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 11687 दिनांक 30.08.2016) में निर्गत प्रमाण पत्र।

(xi) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले ऐसे उम्मीदवार, जो बिहार सरकार के नियमित सरकारी सेवक हैं, से सम्बन्धित विभाग के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(xii) अधिकतम उम्र सीमा में छूट सम्बन्धी दावा करने वाले भूतपूर्व सैनिक के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(xiii) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो साक्षात्कार में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।

(xiv) दो पासपोर्ट साईज के अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ (**Recent Coloured Photograph**)।

(xv) पहचान पत्र (फोटोयुक्त)।

उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के दिन उपरोक्त वर्णित सभी मूल प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उम्मीदवार द्वारा मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने/उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

शैक्षिक योग्यता/अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने ऑनलाईन आवेदन में किया है। शैक्षिक योग्यता/अनुभव से सम्बन्धित मूल/औपबंधिक प्रमाण पत्र के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होने की तिथि, ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि (03.07.2025) के पूर्व का ही होना आवश्यक है।

4. (i) आरक्षित पद के लिए दावा किये जाने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी निवास अंचल के अंचल अधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी निवास अंचल के अंचल अधिकारी/राजस्व पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

5. दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

6. सभी उम्मीदवार अपने दस्तावेज सत्यापन के दिन अपना एक फोटोयुक्त पहचान पत्र, यथा–मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस इत्यादि से कोई एक मूल में एवं इसकी 02 छायाप्रतियाँ स्वहस्ताक्षरित कर अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना सुनिश्चित करेंगे।

7. सम्बन्धित उम्मीदवार, उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में उक्त तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1½ घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

8. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, **Wifi**, इलेक्ट्रोनिक पेन इत्यादि आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

27/11/25

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना